न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 6ए ई.सी.एक्ट / 14 / 25

राज्य सरकार जरिये चरनसिंह उर्वरक निरीक्षक, एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि भरतपुर जिला भरतपुर

......**प्रार्थी**

बनाम

1–श्री दीनानाथ पंजितजी निवासी धौलपुर पूर्ण पता न मालूम जिनका मोबाईल नं. 9351271719 है।

2–मैसर्स भूतेश्वर खाद बीज भंण्डार बसेड़ी धौलपुर जिसके मालिक का नाम न मालूम जिनका मोबाईल नं. 9460878926 है।

3–मनियां धौलपुर के एक व्यक्ति जिनका नाम न मालूम जिनका मोबाईल नं0 9414929930 है।

4–श्री, हरिओम सिंह पुत्र श्री बृजमोहन उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी सोगर तहसील कुम्हेर जिला डीग (वाहन चालक) सहायक संलिप्तता है।

5–श्री नरेश कुमार पुत्र भीमसिंह उम्र 30 वर्ष जाति नाई निवासी नगला नाऊ तहसील भरतपुर जिला भरतपुर (वाहन चालक) सहायक संलिप्तता है।

.......**अप्रार्थी0**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 सहपठित उर्वरक (नियंत्रण)आदेश 1985 की धारा 3 / 3 व 5 एवं उर्वरक परिगमन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3

उपस्थित :–

1– पैरोकार सरकार

2– श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी न. 2 व 3,

आदेश **दिनांक 15.5.2026**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्व अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया गया कि संयुक्त निदशक कृषि वि0 भरतपुर श्री सुरेशचन्द गुप्ताजी द्वारा मुझे दिनांक 13.8.2025 को दोपहर लगभग 12.00 बजे सूचना दी गई थी कि 2 ट्रोली यूरिया की कुम्हेर की तरफ जा रही है। मैंने मेरे कार्यालय में कार्यरत कृषि अधिकारी फसल डॉ0 सीमा को एवं उनके साथ सहायक कृषि काना सिंह व योगेश कुमार शर्मा को सूचना अनुसार मौके पर पहुंचे। गिरधरपुर टोल प्लाजा के पास टीम द्वारा दो ट्रैक्टर ट्रोली का देखा जिनका नम्बर ट्रेक्टर आरजे 05आरबी

........2

कलक्टर
भरतपुर

9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई, जिनमें यूरिया भरा हुआ था। यूरिया के सम्बन्ध में ड्राईवरों से पूछताछ की गई। उनके द्वारा कोई सन्तोषप्रद जबाब नहीं दिया गया, और नाहीं यूरिया के परिवहन सम्बन्धी काई दस्तावेज दिये। दोनों ट्रैक्टर ट्रोलीयों में 250–250 यूरिया के कट्टे कुल 500 यरिया कट्टे जप्त किये गये। जप्त यूरिया कट्टों को भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहाकारी समिति लि0 भरतपुर को सुपुर्दगी में दिये गये हैं। ड्राईवरों ने अपने बयानों में बताया कि श्री दीनानाथ पंडित निवासी धौलपुर एवं मनिया धौलपुर के एक व्यक्ति एवं मैसर्स भूतेश्वर खाद बीज भंण्डार बसेड़ी धौलपुर जिसके मालिका नाम न मालूम जिनका मोबाईल नं. 9460878926 है, मनियॉ धौलपुर के व्यक्ति जिनका नाम न मालूम जिना मोबाईल नं0 9414929930 है का होना बताया । न तीनों व्यक्तियॉ द्वारा यूरिया उर्वरक कालाबाजारी की नियत स अवैध रूप से ट्रॉलीयों में भरकर बाहर भेजा जा रहा था। जप्त शूदा यूरिया 250 बैग चम्बल फर्टिलाईजर, 150बैग एचयूआरएल, 100 बैग आरसीएफ कूल 500 बैगों को एवं जप्त ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 6बी ई.सी.एक्ट नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी.एक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2व 3 के वकील उपस्थित आये । अप्रार्थी संख्या 4व5 ट्रेक्टर ट्रोली उपस्थित नहीं इनके अभिभाषक भी वक्त बहस उपस्थित नहीं आये हैं। पैराकार सरकार एवं अप्रार्थी सख्या 2, 3 के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहाराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी एवं ट्रैक्टर वाहन अप्रार्थी. यूरिया उर्वरक कालाबाजारी की नियत से अवैध रुप से ट्रॉलीयों में भरकर बाहर भेजने में लिप्त पाये गये हैं। जप्त शूदा यूरिया 250 बैग चम्बल फर्टिलाईजर, 150बैग एचयूआरएल, 100 बैग आरसीएफ कूल 500 बैगों को एवं जप्त ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2व3 ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में ड्राईवरों द्वारा तथाकथित बयान असत्य बताया है उनका कहना है कि मै0 भूतेश्वर खाद बीज भण्डार से सीजशुदा खाद कथित ट्रेक्टर ड्राईवरों ने नहीं खरीदा था। निरीक्षक महोदय ने मै0 भूतेश्वर खारा बीज भंडार की उसी वक्त जांच कर ली थी व सभी स्टाक विक्रय सही पाये गये थे कोई अनियमितता नहीं मिली थी । जप्त सीज शूदा खाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कहा कि जप्त शूदा खाद जप्त कर लिया जावे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.......3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कथनों पर गौर किया गया। जप्त खाद के बाबत किसी भी व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं की है। यानि जप्त खाद को जप्त ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई के ड्राईवरों द्वारा अवैध रुसे से कालाबाजारी के लिये परिवहन में लिप्त पाये गये हैं।

प्रकरण में जप्त शूदा यूरिया 250 बैग चम्बल फर्टिलाईजर, 150बैग एचयूआरएल, 100 बैग आरसीएफ कूल 500 बैगों को एवं जप्त ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। जप्त शूदा यूरिया 250 बैग चम्बल फर्टिलाईजर, 150बैग एचयूआरएल, 100 बैग आरसीएफ कूल 500 बैगों को राजसात किया जाता है।

तथा जप्त ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई को एवं पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.11.2025 द्वारा सुपुर्दगी में छोड़ा हुआ है। उक्त दोनों वाहनों की सुपुर्दगी निरस्त की जाती है। तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 टैक्टर वाहन मालिको पर 20000 / – 20000 / – ट्रेक्टर पर पैनल्टी कायम की जाती है। टैक्टर वाहन मालिकों को हिदायत दी जाती है कि वे पेनल्टी राशि अन्दर 30 दिवस राजकोष में जमा करा कर रसीद पेश कर दें तो इन्हें सुपुर्दगी से बागुजार किया जाता है।

पैनल्टी राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे ट्रेक्टर आरजे 05आरबी 9301, महिन्द्रा डीआई, एवं ट्रेक्टर आरजे 05 आरडी 5341 मैसी 241 महिन्द्रा डीआई की जप्ती कार्यवाही करे न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2026 को लिया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर